

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

रामजीवन वगै. बनाम छाज्या वगैरह

मु. नं.- 40/22

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

दिनांक 1.8.24
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 2.8.24 को पेश हो।

दिनांक 22/8/24
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 24/9/24 को पेश हो।

दिनांक 24-9-24
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 29.10.24 को पेश हो।

29-10-24
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य
कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी
हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में
दिनांक 21.11.24 को पेश हो।

21/11/24
पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान की
कार-कार आवाज लगायी गयी।
उभय पत्रकारान एवं उनके अधिभासक
अनुपस्थित। जारी के द्वारा अप प्रतियोगी
संरचना 12 की मलकी उत्तुत नहीं
की जा रही है तथा मलके संभव से

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-

मु. नं.- 40/22

रामजीवन वगै. बनाम छाज्या वगैरह

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
जा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7
 दिनांक 11 CPC का जवाब
 उपलब्ध नहीं किया जा रहा है।
 इससे स्पष्ट है कि वादी पक्षाधीन
 में आगे कोई कार्यवाही करने का
 इच्छुक नहीं है। अतः पक्षाधीन
 में कार्यवाही वादी की आज्ञाकारी
 एवं आज्ञाकारी के कारण
 वारिस की जाती है। पक्षाधीन
 फौजदारी शुमार होकर वारिस
 बनते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)